पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-821

दिनांक-11.04.25

जोन- पूर्वी/ थाना- कैण्ट

- **मोबाइल स्नेचिंग करने वाले 02 शातिर स्नेचर्स को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद एमआई मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त होन्डा स्कूटी वाहन सं0-यूपी 32 पीआर 6298 बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.25 को वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नवरत्न सिंह निवासी 591त्र/283 कुम्हार मंडी तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ द्वारा दिये गये लिखित तहरीर सूचना बावत दिनांक 30.03.25 को दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की जेब से एमआई का मोबाइल जिसमें दो सिम वोडाफोन-8188884709 व एयरटेल सिम 9648548708 झपटमारी कर भाग जाने के सम्बन्ध में दी। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 035/25 धारा 304/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। थाना कैण्ट टीम द्वारा दिनांक 10.04.25 को मुखबिर खास की सूचना पर लोको चौराहा के पास से 02 नफर अभियुक्तों 1.जतिन रावत पुत्र शत्रुधन रावत निवासी घसियारी मण्डी तोपखाना बाजार थाना कैण्ट लखनऊ उम्र 20 वर्ष 2. आदित्य आर्या पुत्र राहुल कुमार निवासी घसियारी मण्डी तोपखाना बाजार थाना कैण्ट लखनऊ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद एमआई मोबाइल फोन आईएमईआई नं0-866409033700242, 866409033700259 व घटना में प्रयुक्त होन्डा स्कूटी वाहन सं0-यूपी 32 पीआर 6298 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. जतिन रावत पुत्र शत्रुधन रावत निवासी घसियारी मण्डी तोपखाना बाजार थाना कैण्ट लखनऊ उम्र 20 वर्ष
2. आदित्य आर्या पुत्र राहुल कुमार निवासी घसियारी मण्डी तोपखाना बाजार थाना कैण्ट लखनऊ उम्र 19 वर्ष

03-बरामदगी:-

- 01 अदद एमआई मोबाइल फोन आईएमईआई नं0-866409033700242 व 866409033700259
- 01 अदद होन्डा स्कूटी वाहन सं0-यूपी 32 पीआर 6298

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त जतिन रावत–

1.मु0अ0सं0 43/23 धारा 379/411 भादवि थाना गौतमपल्ली लखनऊ

2.मु0अ0सं025/24 धारा 392/411/414 भादवि थाना कैण्ट लखनऊ

3.मु0अ0सं035/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना कैण्ट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.816
दिनांक-11.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गाजीपुर

- **क्राइम/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण ।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये 45000 रुपये नकद, वादी मुकदमा का आधार कार्ड, पर्स व घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कूटी TVS JupiterUP78 GJ5843 बरामद ।**
- **दिनांक 09.04.25 को Grinder App के माध्यम से Friendship करने के बहाने वादी मुकदमा के घर पर आकर मारपीट कर कारित की गयी थी लूट की घटना ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.04.2025 को वादी श्री कृष्णेन्दु चटर्जी पुत्र स्व0 अरविन्द चटर्जी निवासी 79ए रविन्द्र पल्ली लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया कि आज दिनांक 09.04.25 को समय करीब 01.40 PM पर Grinder App के माध्यम से Friendship के लिये एक लड़के को बुलाया था। लड़के ने आने के बाद मेरे साथ बातचीत की उसके बाद मेरे हाथ और आँख तथा मुह बाध दिया जिसके बाद उसने एक और लड़के को बुला लिया मेरे साथ मारपीट की और जाते जाते मेरे अलमारी में रखी पर्स व बैग में रखे रुपये करीब 3 लाख रुपये लेकर चले गये। वादी मुकदमा के उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309(6) बी.एन.एस बनाम दो अज्ञात लड़कों के विरूद्ध पंजीकृत कर माल व मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 11/04/2025 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्राँच उत्तरी की संयुक्त पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त की घटना से संबंधित माल मुल्जिमान की पतारसी सुरागरसी व तलाश में क्षेत्र में मामूर थी कि जरिये अभिसूचक जानकारी मिली की उपरोक्त घटना कारित करने वाले लड़के कल्याण अपार्टमेन्ट के पास कुकरैल बन्धे पर एक स्कूटी के साथ खड़े दिखाई दिये हैं यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम कल्याण अपार्टमेन्ट के पास पहुँची तो मजार की तरफ स्कूटी से दो लड़कें आते दिखाई दिये। जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। संदेह के आधार पर स्कूटी रोककर नाम पता पूछा गया तो स्कूटी चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम निकित शर्मा पुत्र कमलेश शर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी- 1/190 सेक्टर आई. जानकीपुरम थाना जानकीपुरम तथा स्कूटी पर पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम अंकित शर्मा पुत्र श्री कमलेश शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी- 1/190 सेक्टर आई. जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ बताया। स्कूटी को चेक किया गया तो स्कूटी की डिग्गी में एक काले व भूरे रंग का पर्स मिला जिसे खुलवाकर देखा गया तो एक आधार कार्ड जिसका नामांकन क्रम 1207/90600/02425 कृष्णेन्द्र चटर्जी पुत्र अरविन्द्र चटर्जी निवासी- 79ए रविन्द्रपल्ली इन्दिरानगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226016 व आधार क्रमांक- 2260 5219 0045 तथा पर्स में पाँच-पाँच सौ के 90 नोट कुल रुपये 45 हजार बरामद हुए। बरामद पर्स आधाऱ कार्ड व रुपयों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं। दिनांक 09/04/2025 को मकान नं0- 79ए रविन्द्रपल्ली में रहने वाले कृष्णेन्द्र चटर्जी से मेरी पहचान ग्राइण्डर नामक फ्रेन्डशिप ऐप के माध्यम से हुई थी।

उसके बाद हमारी आपस में व्हाट्सऐप चैट, व्हाट्सऐप कॉल व मोबाइल नंबर से बातचीत होने लगी। दिनांक 09/04/2025 को कृष्णेन्द्र चटर्जी ने अपने घर की लोकेशन मेरे व्हाट्स-ऐप नंबर 8112781705 पर अपने घर की लोकेशन भेजकर मिलने के लिए बुलाया था।

हम दोनों भाई इसी TVS Jupiter स्कूटी से कृष्णेन्द्र चटर्जी से मिलने उनके घर पर गये थे। मेरे बात करने पर कृष्णेन्द्र चटर्जी घर के बाहर आकर मुझे अपने साथ घर के अन्दर ले गये । मेरा भाई उनके घर से दूर स्कूटी लेकर बाहर ही खड़ा रहा। मैं घर के अन्दर जाकर कृष्णेन्द्र चटर्जी के साथ बातचीत करता रहा । बातचीत के दौरान ही उनकी बातचीत से जब मुझे इस बात की जानकारी हुई की कृष्णेन्द्र चटर्जी के घर की अलमारी में नकद रुपये रखे हैं तो मैंने बाहर खड़े अपने भाई को फोन द्वारा बुला लिया था । हम दोनों ने मिलकर कृष्णेन्द्र चटर्जी के हाथ पीछे से बांध दिये तथा मुंह व आँख बांधकर अलमारी में रखे रुपये लेकर हम दोनों अपनी स्कूटी से भाग गये था । आज हम लोग उन्ही पैसों से ऐशो-आराम व तफरीह करने के लिए डायल 1090 चौराहे जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया । बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी । अभियुक्तों को उनके द्वारा कारित अपराध से अवगत कराते नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । नियमानुसार विधिक कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक की जा रही है । अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध का उद्देश्य-

अपनी शौक को पूरी करने के उद्देश्य से लूट की घटना कारित करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

01-निकित शर्मा पुत्र कमलेश शर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी- 1/190 सेक्टर आई. जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ व्यवसाय - मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना ।

02-अंकित शर्मा पुत्र श्री कमलेश शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी- 1/190 सेक्टर आई. जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ व्यवसाय - मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना ।

04-बरामदगी:-

- 45,000/- रुपये नकद
- एक अदद पर्स (काले व भूरे रंग का),
- एक अदद आधार कार्ड कृष्णेन्द्र चटर्जी क्रमांक 2260 5219 0045
- घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कूटी TVS Jupiter नं0 UP78GJ5843

05-अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309(6)/317(2) बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ ।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी	**थाना गाजीपुर**
क्राइम/सर्विलांस टीम प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह	प्रभारी निरीक्षक थाना गाजीपुर विकास राय
हे0का0 नदीम	उ0नि0 श्री धनपाल
हे0का0 अवधेश गिरी	उ0नि0 श्री आलोक शुक्ला
हे0का0 संतोष कुमार	उ0नि0 श्री राहुल द्विवेदी
हे0का0 अमित कुमार गौतम	उ0नि0 श्री अजय कुमार
का0 विशेष दुहुण	उ0नि0 श्री फनीश कुमार सिंह
का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	उ0नि0 श्री आनन्द मिश्रा
	हे0का0 बालकुश यादव
	का0 अशोक
	का0 अखिलेश
	का0 अरुण कुमार
	का0 सनी कुमार
	का0 विकास सहगल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.817
दिनांक–11.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया।**
- **चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 11.04.2025 को थाना मड़ियांव लखनऊ पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति एवं तलाश वांछित/वारण्टी में मामूर होकर यादव चौराहा पर मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति लोखडिया गांव मोड़ के पास चोरी की मोटर साइकिल को बेचने के लिये ग्राहक के इंतजार में खडा है संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मो0 सुफियान उर्फ अरमान उर्फ शानू पुत्र मो0 जमीर अहमद खान निवासी करीमगंज शफा मस्जिद रामनगर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र-27 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से एक मोटर साइकिल अपाचे आरटीआर वाहन सं0 UP32JL8078 बरादम हुई। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैने केजीएमयू मेडिकल कालेज से 02 दिन पहले चोरी किया था। थाना कार्यालय चौक से जानकारी की गयी तो पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना चौक पर मु0अ0सं0- 91/2025 धारा 303(2) BNS का अभियोग पंजीकृत है।

पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 317(2) BNS से अवगत कराते हुए समय करीब 00.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया तथा बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0213/2025 धारा 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

- अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल चोरी कर के औने पौने दाम में बेच कर अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति में खर्च कर देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. मो0 सुफियान उर्फ अरमान उर्फ शानू पुत्र मो0 जमीर अहमद खान निवासी करीमगंज शफा मस्जिद रामनगर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र-27 (व्यवसाय –फर्नीचर की दुकान पर)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-824
दिनांक-11.04.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-पारा

- **अवैध असलहा से जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 01 आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध देशी पिस्टल व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्री अमित कुमार वर्मा के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी श्री शकील अहमद के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री सचिन कुमार व पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.04.2025 की रात्रि में ग्राम हंसखेडा में युवती पर जान से मारने की नियत से फायर करने वाले मुख्य अभियुक्त सतीश यादव उर्फ डैनी पुत्र राम सिंह यादव निवासी ग्राम हंसखेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध देशी पिस्टल व 01 अदद खोखा कारतूस के साथ मुजफ्फर खेड़ा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना पारा लखनऊ पर मु0अ0सं0 272/2025 धारा 191(2)/109(1)/352/351(3)/333/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सतीश यादव उर्फ डैनी पुत्र राम सिंह यादव निवासी ग्राम हंसखेड़ा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

03-बरामदगी-

- 01 अदद अवैध देशी पिस्टल
- 01 अदद खोखा कारतूस

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त सतीश यादव उर्फ डैनी-

1.मु0अ0सं0 54/2020 धारा 352/504/506 भा0द0वि0 थाना पारा लखनऊ।

2. मु0अ0सं0 608/2021 धारा 279/341/506 भा0द0वि0 थाना पारा लखनऊ।

3.मु0अ0सं0 272/2025 धारा 191(2)/109(1)/352/351(3)/333/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पारा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.818
दिनांक-11.04.2025

जोन- पूर्वी / थाना- पीजीआई

- मो0सा0 चोरी करने वाले अभि0 को पीजीआई पुलिस ने किया गिरफ्तार।
- चोरी की मो0सा0 को किया गया बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.04.2025 को थाना पीजीआई की पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त - मुकेश कुमार पुत्र अवधेश कुमार नि० ग्राम सहगोंतमनपुर थाना बछंरावा जनपद रायबरेली उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल के पीछे शहीद पथ अण्डर पास थाना पी0जी0आई0 लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद हीरो मोटरसाईकिल पैशन प्रो नं0 UP32FX0209, चेचिस नम्बर MBLHA10BJEHJ13724, इंजन नम्बर HA10ETEHJ13518 को बरामद किया गया।

मोटरसाईकिल बरामद कर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 317(2)317(3)/317(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री नवरंग तिवारी के सुपुर्द की गयी अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

मुकेश कुमार पुत्र अवधेश कुमार नि० ग्राम सहगोंतमनपुर थाना बछंरावा जनपद रायबरेली उम्र करीब 28 वर्ष मो0नं0 -8565001285

03-बरामदगी:-

01 अदद दो पहिया वाहन संख्या UP32FX0209 के चेचिस नम्बर MBLHA10BJEHJ13724 (हीरो मोटरसाइकिल पैशन प्रो)

04-अभि0 मुकेश कुमार का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 317(2)317(3)/317(4) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 462/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 548/2022 धारा 41 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 615/2023 धारा 379/411 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।

अन्य मुकदमो की जानकारी अलग से की जा रही है

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-821

दिनांक 11.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **04 गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 85 हजार) को उनके वास्तविक धारको को किया गया सुपुर्द**

संक्षिप्त विवरण :–

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु श्रीमान ऋषभ रूणवाल, सहायक पुलिस आयुक्त गोसांईगंज कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया व श्रीमान अंजनी कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के नेतृत्व मे स0उ0नि0 दीपांकर गुप्ता द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया। इस कार्यवाही मे करीब **85 हजार रूपये** के विभिन्न कम्पनियो के **04 मोबाइल फोन** को अलग अलग स्थानो से बरामद किया गया ।

बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मोबाइल धारक को सुपुर्द किया गया। खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारक द्वारा पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

बरामदगी :-

1. VIVO V2307
2. VIVO V2407
3. TECNO SPARK POWER 2
4. ONEPLUS AC2001

बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 श्री अंजनी कुमार मिश्रा
2. स0उ0नि0 श्री दीपांकर गुप्ता

सलाह अपील :–

अगर मोबाइल फोन गुम हो जाये तो ये कदम भी उठाए जा सकते है:

- सबसे पहले, UPCOP पर LOST ARTICLE पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- फिर, पुराने सिम को ब्लॉक करने और नया सिम लेने के लिए, नजदीकी सिम सेवा प्रदाता स्टोर पर जाएं
- CEIR पोर्टल पर जाएं और BLOCK STOLEN/LOST MOBILE पर विवरण दर्ज करें।
- फार्म मे पुलिस कंप्लेंट नंबर दर्ज करे।
- अपना नाम, पता, पहचान पत्र और ई मेल आईडी दर्ज करे
- फार्म सबमिट हो जाने के बाद, एक शिकायत आईडी मिलेगी।
- इस आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखे।

पुलिस कमिश्नरेटलखनऊ

प्रेस नोट सं0-822

दिनांक 11.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण-

दिनांक 11.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि दो पक्ष ग्राम हसनपुर खेवली में किसी बात आपस वाद विवाद कर रहे है तत्पश्चात जांच के क्रम मे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 हिमांचल सिंह मय पुलिस टीम के रवाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथम पक्ष के सर्वेश उर्फ पप्पू पुत्र चन्द्रभूषण नि0 ग्राम रहिमाबाद थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ द्वितीय पक्ष की राजकुमारी पत्नी पवन कुमार नि0 इचबलिया थाना गोसाईगंज लखनऊ से किराये के कमरे से सम्बन्धित बिजली व पानी की बात को लेकर वाद विवाद करते हुये तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुये आमादा फौजादारी हो रहे है।

मौके पर सर्वेश उर्फ पप्पू उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु सर्वेश उर्फ पप्पू उपरोक्त की बात को मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुये आमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल सर्वेश उर्फ पप्पू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1. सर्वेश उर्फ पप्पू पुत्र चन्द्रभूषण नि0 ग्राम रहिमाबाद थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र -55 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

05- नरेन्द्र उर्फ नन्दा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 0486/2020 धारा 380/457 भादवि थाना अतरौली जनपद हरदोई
2. मु0अ0सं0- 0043/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना माल्लवां जनपद हरदोई
3. मु0अ0सं0- 0418/2020 धारा 379/411 भादवि थाना माल्लवां जनपद हरदोई
4. मु0अ0सं0- 0345/2024 धारा 317(4) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

06-अभियुक्त का व्यवसाय-

- अभि0 द्वारा डाला की ड्राइवरी का काम किया जाता है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ